



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1958]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

No. 1958]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 2629(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

### प्रारूप अधिसूचना

किन्नेसानी वन्यजीव अभ्यारण्य, तेलंगाना राज्य में खम्मम जिले में पालोंचा कस्बे से उत्तर में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह दक्ष्ण प्रायद्वीप जैव भौगोलिक जोन में आता है;

और, किन्नेसानी वन्यजीव अभ्यारण्य अत्यधिक वनों का पहाड़ी इलाका है जो की प्रचुर जैव-विविधता का वास है और जिसमें की विविध प्रकार के वनस्पति और जीव जन्तु हैं और अभ्यारण्य में मुख्य वन प्रकार में अधिकतर दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन हैं;

और, अभयारण्य में सामान्यतः पौधों की प्रजातियां जैसे: हार्डविकिया विनाटा, प्टेरोकार्पस मार्सुपियम, अदीना कॉर्डिफोलिआ, अनोगेइस्मुस लैटीफोलिआ, टर्मिनालिया टोमेन्टोसा, टर्मिनालिया बेल्लेरिका, बॉहिनिया रसमोसा, अकाकिया प्रजातियां, डिओसपाइरोस मेलनोक्सीलोन, एंगले मरमेलोस, फेरोनिया एलेफेनटम, अज्ञाडिराचटा इंडिका, डेंड्रोकालमस स्ट्रिक्टस, ज़िज्जीफुस प्रजातियां और फिक्स प्रजातियां पाये जाते हैं;

और, किन्नेसानी वन्यजीव अभयारण्य में अनेक पशु प्रजातियों का वास स्थल है जैसे जंगली भैसा, बनैला सूअर, रीछ, जंगली कुत्ता, मुसंग, छोटा भारतीय मुसंग, बनविलाव, तेंदुआ, बाघ चित्तीदार हिरण, सांभर, भारतीय बृहत गिलहरी, लकड़बग्धा, सियार के साथ पक्षियों की प्रजातियों का वास स्थल भी है;

और, किन्नेसानी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में किन्नेसानी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर से 21 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को किन्नेसानी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थातः--

**1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार तेलगांना राज्य में किन्नेसानी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर से 21 किलोमीटर के विस्तारित क्षेत्र में 1449.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत 70 ग्राम स्थित हैं।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है और ग्रामों की सूची उपाबंध II के रूप में दी गई है।

(3) अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना के साथ उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थातः--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;

- (vii) कृषि ;
- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यक्तन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 10, 16, 22, 30 और 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे तंबू और लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा तथा मजबूत करना ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;
- (iv) वर्षा जल संचयन; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धृतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन धमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपर्युक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) बहिस्नाव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण - (क) आंचलिक महायोजना के पहाड़ी ढलानों क्षेत्रों पर निर्दिष्ट किया जाएगा जहाँ किसी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के उच्च डिग्री के साथ ढलानों और मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(13) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काल आधारित उद्योगों के सिवाए नए काल आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

| क्रम सं.                     | क्रियाकलाप  | टीका-टिप्पणी  |
|------------------------------|---|---|
| (1)                          | (2)   | (3)   |
| <b>प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b> |   |   |
| (1)                          | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाईयां। | (क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाईयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
|                            |   | <p>आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;</p> <p>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौड़ाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।</p> <p>(ग) निजमावाद में विद्यमान प्रोजेक्ट, जो कि जोन के क्षेत्र में आते हैं उनके लीज समय कि समाप्ति के बाद और आगे समय के लिए नवीकरण/बढ़ाया नहीं जायेगा और मेढ़क जिले में पारिस्थितिक संवेदी जोन में खनन अनुज्ञात नहीं होगा।</p> |
| (2)                        | आरा मीलों की स्थापना।   | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।  |
| (3)                        | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।  | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।   |
| (4)                        | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।   | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (5)                        | नई बृहत जल विद्युत और सिचाई परियोजनाओं की स्थापना।  | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (6)                        | किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।  | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (7)                        | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्भाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।                                       | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (8)                        | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (9)                        | नए काष्ठ आधारित उद्योग।   | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।<br>परंतु विधि के अनुसार विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग जारी रहेंगे।  |
| <b>विनियमित क्रियाकलाप</b> |   |   |
| (10)                       | पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटल और रिसोर्ट की स्थापना।   | <p>पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।</p> <p>परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।</p>  |
| (11)                       | संनिर्माण क्रियाकलाप।   | <p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।</p> <p>परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी।</p> <p>(ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हो, के अनुसार सक्षम</p>   |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      |  | प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे।<br>(ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्व्यावधि आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।   |
| (12) | वृक्षों की कटाई।   | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी;<br>(घ) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्युक्त के अनुसार विनियमित होंगे;<br>(ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया जाएगा।  |
| (13) | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।                   | (क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा।<br>(घ) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।<br>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा।<br>(घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। |
| (14) | विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।                       | (क) भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।<br>(घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में 33 किलोवाट और अधिक लाइन विद्युत प्रतिषिद्ध होगा।  |
| (15) | होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।                      | लागू विधियों के अधीन विनियमित होगी।   |
| (16) | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।                   | उचित पर्यावरण समाधान निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।  |
| (17) | रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।                                     | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।   |
| (18) | विदेशी प्रजातियों को लाना।   | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।  |
| (19) | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।                                   | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।  |
| (20) | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्भाव का निस्सारण। | उपचारित बहिर्भाव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।  |
| (21) | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।                                       | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।  |
| (22) | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।                                | पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।  |
| (23) | वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।                       | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।  |
| (24) | वायु और यानिक प्रदूषण।   | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।  |
| (25) | प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।   | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।  |
| (26) | कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।                                     | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।  |
| (27) | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।   | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।  |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| (28)                       | <b>पारिस्थितिक-पर्यटन।</b>   | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।         |
| <b>संवर्धित क्रियाकलाप</b> |  |  |
| (29)                       | स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागबानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।         |
| (30)                       | वर्षा जल संचयन।  | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।             |
| (31)                       | जैविक खेती।  | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।             |
| (32)                       | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।   | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।             |
| (33)                       | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर और अन्य कुटीर उद्योग आदि भी हैं।                               | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।             |
| (34)                       | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।   | जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा देना होगा। |
| (35)                       | <b>कृषि वानिकी।</b>  | <b>सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।</b>      |
| (36)                       | <b>पर्यावरणीय जागरूकता।</b>  | <b>सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।</b>      |

**5. मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी **तीन वर्ष की अवधि** के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) जिला कलेक्टर, खम्मम - अध्यक्ष ;
- (ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य ;
- (ग) तेलंगाना सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक विशेषज्ञ – सदस्य ;
- (घ) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य – सदस्य;
  
- (ङ) प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य;
- (च) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार/मुख्य शहरी योजनाकार/नगर योजनाकार – सदस्य;
- (छ) वन्यजीव वार्डन, पालोंचा, खम्मम जिला – सदस्य-सचिव।

**6. निर्देश निबंधन-** (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिपिछ्व गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्व क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्डारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध IV में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/16/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

#### उपाबंध।

#### किन्नेसानी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

#### किन्नेसानी वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव प्रबंधन प्रभाग, पलोनचा, खम्मम जिला, तेलंगाना राज्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा वर्णन

पश्चिमी भाग ए से बी (स्टेशन सं. 1 से 30): पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा कोथागुदेम वन विभाग के दमरतोगु आर. एफ. की सीमा के संलग्न सयनापल्ली ग्राम के मानचित्र में दर्शयि गये 'ए' अर्थात् निर्देशांक 17.94742 अक्षांश - 80.34579 देशांतर (स्टेशन सं. 1) से आरंभ होती है। सड़क बिन्दु के सयनापल्ली संलग्न के दक्षिण-पश्चिमी कोण से 1 किलोमीटर की दूरी में स्थित स्टेशन सं. 1 है, जो गुनडाला और सयनापल्ली ग्रामों को जोड़ता है। रेखा स्टेशन सं. 1 से आरंभ होकर पूर्वी, उत्तर पूर्वीय, उत्तरीय के स्टेशन सं. 7 की ओर जाती है और इसके बाद पश्चिमी, उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी से स्टेशन सं. 12 जाती है, दमरतोगु आर. एफ. के बेंकटापुरम संलग्न पहुँचती है और इसके बाद पूर्वी और उत्तरी से स्टेशन सं. 21 पहुँचती है और दमरतोगु आर. एफ. से होते हुए उत्तर-पूर्वी देश में जाती है और 'बी' (स्टेशन सं. 30) पहुँचती है।

उत्तरी भाग बी से सी (स्टेशन सं. 30 से 59): स्टेशन सं. बी से, सीमा रेखा कोथागुदेम वन प्रभाग के दमरदोगु आर. एफ. से होते हुए स्टेशन सं. 34 के दक्षिण-पूर्वी की ओर जाती है। स्टेशन सं. 34 से, सीमा रेखा आड़े तिरछे ढंग में पलोनचा प्रभाग, जनमपेटा आर. एफ. के कोथागुदेन ग्राम संलग्न की सीमा, खम्मम जिला के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है और 'सी' (स्टेशन सं. 59) पहुँचती है।

उत्तर भाग/पूर्वी भाग सी से डी (स्टेशन सं. 59 से 124): स्टेशन सं. 'सी' से, सीमा रेखा 2.93 किलोमीटर की लम्बाई से ऊपर पलोनचा प्रभाग की जनमपेटा आर. एफ. से होते हुए दक्षिण पूर्वी, पूर्वी उत्तरी, दक्षिणी की ओर जाती है और स्टेशन सं. 102 पहुँचती है और इसके बाद आड़े तिरछे ढंग में दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और रल्लावगु के निकट 'डी' (स्टेशन सं. 124) पहुँचती है।

पूर्वी भाग डी से ई (स्टेशन सं. 124 से 171): सीमा रेखा स्टेशन सं. 124 (डी) से 145 पर दक्षिणी दिशा, पूर्वी की ओर जाती है और इसके बाद सीमा रेखा कोनदापुर वन खण्ड से होते हुए और 160 पर दक्षिण दिशा की ओर जाती है और इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर और कोनदाईगुदेम और कोनदापुर वन खण्ड से होते हुए पूर्वी दिशा की ओर जाती है और 'ई' (स्टेशन सं. 171) पहुँचती है।

**पूर्वी भाग ई से एफ (स्टेशन सं. 171 से 214) :** सीमा रेखा 'ई' (स्टेशन सं. 171) से होते हुए कोनदापुर खण्ड से होते हुए स्टेशन सं. 173 पर दक्षिण दिशा की ओर जाती है और इसके बाद रेखा अस्वापुरम खण्ड के साथ स्टेशन सं. 181 से दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद रेखा स्टेशन सं. 183 से पश्चिमी दिशा की ओर जाती है इसके बाद रेखा स्टेशन सं. 185 से अस्वापुरम एक्सटेंशन-। खण्ड से होते हुए जाती है और इसके बाद सीमा रेखा अस्वापुरन वन खण्ड के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं. 205 से नेल्लीपाका अ एवं व वन खण्ड से होते हुए दक्षिण पूर्वी दिशा और पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद रेखा स्टेशन सं. 210 से किस्टासागर वन खण्ड के मध्य से दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद रेखा 'एफ' (स्टेशन सं. 214) गैर-वन क्षेत्र की लम्बाई 5.7 किलोमीटर से होते हुए जाती है। 'एफ' 'एक्स' सङ्क के निकट मोरमपल्ली बंजर ग्राम में स्थित है।

**दक्षिणी भाग एफ से जी (स्टेशन सं. 214 से 284):** 'एफ' बिन्दु से, सीमा रेखा स्टेशन सं. 217 3.62 किलोमीटर की लम्बाई से पश्चिमी दिशा की ओर गैर वन क्षेत्र से होते हुए जाती है, जो किसेसानी नदी पर स्थित है। इसके बाद सीमा रेखा स्टेशन सं. 229 किसेसानी नदी के साथ पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद स्टेशन सं. 232 से सुरारम आर. एफ. के साथ जाती है और इसके बाद रेखा पुनकुला ग्राम और राजस्व भूमि और एस तालाब के साथ के.टी.पी.एस कॉम्पलेक्स से बाहर छोड़कर स्टेशन सं. 237 से दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और कोथागुदेन प्रभाग के चथाकोनदा आर. एफ. के स्टेशन सं. 253 से जुड़ती है। स्टेशन सं. 253 से, सीमा रेखा स्टेशन सं. 259 से पूर्वी, दक्षिणी की ओर कोथागुदेन प्रभाग के चथाकोनदा वन खण्ड से होते हुए जाती है और पुनः स्टेशन सं. 271 से पश्चिमी दिशा की ओर जाती है। इसके बाद सीमा रेखा स्टेशन सं. 278 से उत्तर दिशा की ओर जाती है चटाकोनदा आर. एफ के साथ पश्चिमी और दक्षिणी दिशा के साथ 'जी' बिन्दु (स्टेशन सं. 284) से चथाकोनदा आर. एफ. सीमा के साथ जाती है जो मानचित्र में दर्शाया गया है।

**पश्चिमी भाग जी से ए (स्टेशन सं. 284 से 359) :** 'जी' बिन्दु (स्टेशन सं. 284) से सीमा रेखा चटाकोनदा आर. एफ. के साथ स्टेशन सं. 289 से उत्तरी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद स्टेशन सं. 293 से गैर वन क्षेत्र (चटाकोनदा आर. एफ. से संलग्न) से होते हुए जाती है और इसके बाद स्टेशन सं. 305 से उत्तरी और पश्चिमी दिशा की ओर चटाकोनदा खण्ड से होते हुए जाती है और इसके बाद सीमा रेखा स्टेशन सं. 307 से दक्षिण दिशा की ओर जाती है, इसके बाद सीमा रेखा स्टेशन सं. 314 से उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर कोनावरम खण्ड से होते हुए जाती है। इसके बाद सीमा रेखा स्टेशन सं. 327 से उत्तरी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद कोथागुदेम वन प्रभाग के कोमारम और गुनदाला खण्ड से होते हुए स्टेशन सं. 337 से दक्षिणी दिशा की ओर जाती है। स्टेशन सं. 337 से, सीमा रेखा स्टेशन सं. 342 से गुनदाला वन खण्ड से होते हुए उत्तरी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद पूर्वी दिशा की ओर स्टेशन सं. 345 पहुँचती है। यहाँ से सीमा रेखा पूर्वी दिशा की ओर गुनदाला वन खण्ड से साथ स्टेशन सं. 351 पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा उत्तरी दिशा की ओर स्टेशन सं. 1 (ए) से जुड़ती है।

## उपांध-II

### पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची


| क्र.सं. | ग्राम के नाम   | मंडल     | अक्षांश  | देशांतर  |
|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 1       | 2              | 3        | 4        | 5        |
| वी1     | कराकागुदेम     | पिनापाका | 18.03754 | 80.57035 |
| वी2     | कृष्णासागर     | अशवापुरम | 17.71153 | 80.57035 |
| वी3     | थुम्मालाचेरवु  | अशवापुरम | 17.77880 | 80.80561 |
| वी4     | कुरवापल्ली     | अशवापुरम | 17.76544 | 80.80491 |
| वी5     | कोथुरु         | अशवापुरम | 17.76834 | 80.80924 |
| वी6     | मोंदीकुन्ता    | अशवापुरम | 17.76961 | 80.83280 |
| वी7     | उलवनूर कोथोरु  | अशवापुरम | 17.81244 | 80.70711 |
| वी8     | बुगा           | मनुगुरु  | 17.91930 | 80.72152 |
| वी9     | खम्ममतोगु      | मनुगुरु  | 17.93108 | 80.70349 |
| वी10    | पिनापाका       | पिनापाका | 18.02700 | 80.68162 |
| वी11    | गोपालाराव पेटा | पिनापाका | 18.01614 | 80.67586 |

|      |                |             |          |          |
|------|----------------|-------------|----------|----------|
| वी12 | बंदरुगुदेम     | पिनापाका    | 18.01734 | 80.66191 |
| वी13 | तोगुदेम        | पिनापाका    | 18.01592 | 80.64183 |
| वी14 | गोविंदापुरम    | पिनापाका    | 18.64861 | 80.64861 |
| वी15 | कोलवालानगरम    | पिनापाका    | 18.01318 | 80.62298 |
| वी16 | इमुलुरु        | अशवापुरम    | 17.86114 | 80.75932 |
| वी17 | पांडुरंगापुरम  | पलोंचा      | 17.64480 | 80.72022 |
| वी18 | थापसिलगुदेम    | पलोंचा      | 17.65077 | 80.71057 |
| वी19 | नारासमपेट      | पलोंचा      | 17.68300 | 80.73059 |
| वी20 | गजुलागुदेम     | पलोंचा      | 17.61553 | 80.66856 |
| वी21 | काराकावागु     | पलोंचा      | 17.61856 | 80.68040 |
| वी22 | नई पलोंचा      | पलोंचा      | 17.60328 | 80.68860 |
| वी23 | सीतारामपटनम    | पलोंचा      | 17.60424 | 80.68412 |
| वी24 | कोम्पुगुदेम    | पलोंचा      | 17.59653 | 80.69142 |
| वी25 | पिचाईह थन्डा   | पलोंचा      | 17.60032 | 80.66154 |
| वी26 | नवभारथ         | पलोंचा      | 17.58332 | 80.65452 |
| वी27 | पथा पलोंचा     | पलोंचा      | 17.58710 | 80.68598 |
| वी28 | बंगारीजालु     | पलोंचा      | 17.56218 | 80.68151 |
| वी29 | सीतारामसेथांजर | पलोंचा      | 17.56969 | 80.67235 |
| वी30 | कुनावरम        | कोथागुदेम   | 17.59160 | 80.58924 |
| वी31 | कोथागुदेम      | कोथागुदेम   | 17.56479 | 80.62539 |
| वी32 | एनिसेट्रीपल्ली | कोथागुदेम   | 17.57800 | 80.58297 |
| वी33 | शम्बुनेगुदेम   | तेकुलापल्ली | 17.58709 | 80.58409 |
| वी34 | वद्दुगुदेम     | तेकुलापल्ली | 17.58798 | 80.57304 |
| वी35 | वेंकटापुरम     | गुन्दाला    | 17.67345 | 80.52767 |
| वी35 | सैनापल्ली      | गुन्दाला    | 17.96029 | 80.34422 |
| वी36 | पदमापुरम       | पिनापाका    | 18.04101 | 80.51665 |
| वी37 | पदमापुरम       | पिनापाका    | 18.04101 | 80.51665 |
| वी38 | मोथे           | पिनापाका    | 18.04506 | 80.54853 |
| वी39 | नदिमागुदेम     | गुन्दाला    | 18.15516 | 80.60996 |
| वी40 | चिरामल्ला      | पिनापाका    | 18.05314 | 80.57806 |
| वी41 | वेंकटापुरम     | पिनापाका    | 18.05061 | 80.53270 |
| वी42 | नीलदरीपेटा     | गुन्दाला    | 17.99895 | 80.51229 |
| वी43 | संदीबंदम       | गुन्दाला    | 17.92834 | 80.48472 |

|      |                 |             |          |          |
|------|-----------------|-------------|----------|----------|
| वी44 | रविलंका         | गुन्दाला    | 17.87481 | 80.47286 |
| वी45 | तुनीकीबंदाला    | गुन्दाला    | 17.86197 | 80.46826 |
| वी46 | इप्पेनापल्ली    | गुन्दाला    | 17.85184 | 80.46174 |
| वी47 | वलासला          | गुन्दाला    | 17.86348 | 80.44014 |
| वी48 | जेकराम          | गुन्दाला    | 17.93448 | 80.49076 |
| वी49 | रवुजदेन         | गुन्दाला    | 17.82425 | 80.45457 |
| वी50 | मोटलागुदेम      | गुन्दाला    | 17.75693 | 80.51562 |
| वी51 | कोम्मुगुदेम     | गुन्दाला    | 17.72835 | 80.47680 |
| वी52 | कोथुरु          | गुन्दाला    | 17.68008 | 80.46791 |
| वी53 | कुनारम          | तेकुलापल्ली | 17.56814 | 80.57028 |
| वी54 | हेमाचन्द्रापुरम | कोथागुदेम   | 17.56101 | 80.58980 |
| वी55 | भट्टमल्ली       | पिनापाका    | 18.01467 | 80.68659 |
| वी56 | सुयाथन्डा       | पलोंचा      | 17.64251 | 80.67649 |
| वी57 | दुदियाथन्डा     | पलोंचा      | 17.64177 | 80.66818 |
| वी58 | यदापल्लीगुदेम   | गुन्दाला    | 17.72347 | 80.40090 |
| वी59 | रामाकृष्णापुरम  | गुन्दाला    | 17.71676 | 80.40436 |
| वी60 | रल्लागुम्पु     | गुन्दाला    | 17.75298 | 80.39006 |
| वी61 | अनन्थारम        | गुन्दाला    | 17.75291 | 80.38099 |
| वी62 | रामावरम         | गुन्दाला    | 17.75702 | 80.38782 |
| वी63 | यल्लापुरम       | गुन्दाला    | 17.76201 | 80.38616 |
| वी64 | कचीनापल्ली      | गुन्दाला    | 17.75531 | 80.43233 |
| वी65 | गुन्दाला        | गुन्दाला    | 17.86298 | 80.32558 |
| वी66 | गल्वा           | गुन्दाला    | 17.86051 | 80.33018 |
| वी67 | कुनावरीगुदेम    | गुन्दाला    | 17.91747 | 80.33086 |
| वी68 | कोदावालान्चा    | गुन्दाला    | 17.92707 | 80.35584 |
| वी69 | पोथिरेदेगुदेम   | गुन्दाला    | 17.89707 | 80.33691 |
| वी70 | जरगैथन्डा       | गुन्दाला    | 17.89862 | 80.31833 |

उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र



किन्नेसानी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के अक्षांश और देशांतर

(डब्ल्यू जी एस 84)

| एस टी एन न. | अक्षांश  | देशांतर  |
|-------------|----------|----------|
| 1           | 17.94742 | 80.34579 |
| 2           | 17.94702 | 80.34783 |
| 3           | 17.94725 | 80.35292 |
| 4           | 17.95301 | 80.35905 |
| 5           | 17.95948 | 80.35939 |
| 6           | 17.96587 | 80.35989 |
| 7           | 17.96926 | 80.36002 |
| 8           | 17.97104 | 80.34844 |
| 9           | 17.97554 | 80.34831 |
| 10          | 17.97857 | 80.33996 |
| 11          | 17.98217 | 80.33948 |
| 12          | 17.98674 | 80.33760 |
| 13          | 17.98692 | 80.33887 |
| 14          | 17.98788 | 80.34281 |
| 15          | 17.98949 | 80.34262 |
| 16          | 18.00000 | 80.34277 |
| 17          | 18.00011 | 80.33960 |
| 18          | 18.00541 | 80.34005 |
| 19          | 18.00545 | 80.33465 |
| 20          | 18.00862 | 80.33567 |
| 21          | 18.01014 | 80.33467 |
| 22          | 18.01426 | 80.34130 |
| 23          | 18.02389 | 80.34342 |
| 24          | 18.03255 | 80.34575 |
| 25          | 18.03635 | 80.34651 |
| 26          | 18.04009 | 80.35004 |
| 27          | 18.04912 | 80.35851 |
| 28          | 18.06139 | 80.37156 |
| 29          | 18.07157 | 80.38183 |
| 30          | 18.08151 | 80.39195 |
| 31          | 18.07451 | 80.40465 |
| 32          | 18.06715 | 80.41822 |

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| 33 | 18.06233 | 80.42725 |
| 34 | 18.06032 | 80.43089 |
| 35 | 18.06129 | 80.43264 |
| 36 | 18.06003 | 80.43647 |
| 37 | 18.06205 | 80.43660 |
| 38 | 18.06494 | 80.44408 |
| 39 | 18.06678 | 80.44506 |
| 40 | 18.06433 | 80.45074 |
| 41 | 18.06007 | 80.45549 |
| 42 | 18.06142 | 80.45951 |
| 43 | 18.06258 | 80.45916 |
| 44 | 18.06268 | 80.46198 |
| 45 | 18.06784 | 80.45922 |
| 46 | 18.07069 | 80.45700 |
| 47 | 18.07306 | 80.45739 |
| 48 | 18.07972 | 80.46587 |
| 49 | 18.08415 | 80.46240 |
| 50 | 18.08596 | 80.46424 |
| 51 | 18.09324 | 70.46581 |
| 52 | 18.09326 | 80.46915 |
| 53 | 18.10325 | 80.48281 |
| 54 | 18.10714 | 80.48566 |
| 55 | 18.11464 | 80.48689 |
| 56 | 18.12167 | 80.48866 |
| 57 | 18.12748 | 80.49339 |
| 58 | 18.13670 | 80.49449 |
| 59 | 18.13845 | 80.49879 |
| 60 | 18.13382 | 80.50217 |
| 61 | 18.12999 | 80.50252 |
| 62 | 18.12555 | 80.50917 |
| 63 | 18.12231 | 80.51263 |
| 64 | 18.11713 | 80.51404 |
| 65 | 18.10979 | 80.52117 |
| 66 | 18.10614 | 80.52776 |
| 67 | 18.10033 | 80.53622 |

|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
| 68  | 18.09744  | 80.53856 |
| 69  | 18.09795  | 80.54627 |
| 70  | 18.10522  | 80.55096 |
| 71  | 18.10461  | 80.55671 |
| 72  | 18.10371  | 80.56211 |
| 73  | 18.10106  | 80.56527 |
| 74  | 18.09921  | 80.57030 |
| 75  | 18.09634  | 80.57809 |
| 76  | 18.09148  | 80.58845 |
| 77  | 18.08362  | 80.59951 |
| 78  | 18.08341  | 80.60355 |
| 79  | 18.08635  | 80.60496 |
| 80  | 19.08839  | 80.60789 |
| 81  | 18.09356  | 80.60889 |
| 82  | 18.10253  | 80.61374 |
| 83  | 18.10469  | 80.61562 |
| 84  | 18.10751  | 80.61568 |
| 85  | 18.11478  | 80.61444 |
| 86  | 18.11835  | 80.61649 |
| 87  | 18.11511  | 80.61784 |
| 88  | 18.11277  | 80.61959 |
| 89  | 18.11211  | 80.62306 |
| 90  | 18.11252  | 80.62377 |
| 91  | 18.10950  | 80.63513 |
| 92  | 18.10420  | 80.63584 |
| 93  | 180.09207 | 80.63223 |
| 94  | 18.08883  | 80.63498 |
| 95  | 18.08859  | 80.63878 |
| 96  | 18.09038  | 80.63933 |
| 97  | 18.088606 | 80.64860 |
| 98  | 18.08300  | 80.66250 |
| 99  | 18.08133  | 80.67098 |
| 100 | 18.07756  | 80.67005 |
| 101 | 18.07721  | 80.67773 |
| 102 | 18.07664  | 80.68428 |
| 103 | 18.07460  | 80.68417 |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 104 | 18.07442 | 80.67940 |
| 105 | 18.07308 | 80.67626 |
| 106 | 18.07189 | 80.66817 |
| 107 | 18.06623 | 80.66852 |
| 108 | 18.06360 | 80.66424 |
| 109 | 18.06186 | 80.66886 |
| 110 | 18.06164 | 80.68165 |
| 111 | 18.06017 | 80.68138 |
| 112 | 18.05911 | 80.67423 |
| 113 | 18.05349 | 80.66970 |
| 114 | 18.05045 | 80.67296 |
| 115 | 18.04986 | 80.68077 |
| 116 | 18.04623 | 80.68085 |
| 117 | 18.04521 | 80.67365 |
| 118 | 18.04093 | 80.66915 |
| 119 | 18.03082 | 80.66475 |
| 120 | 18.03114 | 80.65635 |
| 121 | 18.03173 | 80.64962 |
| 122 | 18.02961 | 80.64363 |
| 123 | 18.02758 | 80.64283 |
| 124 | 18.02717 | 80.63816 |
| 125 | 18.01952 | 80.63916 |
| 126 | 18.01473 | 80.64194 |
| 127 | 18.01775 | 80.64550 |
| 128 | 18.01793 | 80.64868 |
| 129 | 18.01869 | 80.64891 |
| 130 | 18.01871 | 80.65209 |
| 131 | 18.01781 | 80.65494 |
| 132 | 18.01445 | 80.65629 |
| 133 | 18.01245 | 80.65376 |
| 135 | 18.01102 | 80.65417 |
| 136 | 18.00287 | 80.65337 |
| 137 | 18.00227 | 80.66837 |
| 138 | 18.00559 | 80.66938 |
| 139 | 18.00666 | 80.67456 |

|     |          |           |
|-----|----------|-----------|
| 140 | 18.00760 | 80.67944  |
| 141 | 18.00297 | 80.67918  |
| 142 | 18.00204 | 80.68034  |
| 143 | 18.0040  | 80.68723  |
| 144 | 17.99958 | 8069320   |
| 145 | 17.99947 | 80.70384  |
| 146 | 17.99548 | 80.70548  |
| 147 | 17.99145 | 8070548   |
| 148 | 17.98684 | 80.70325  |
| 149 | 17.98292 | 80.70469  |
| 150 | 17.97791 | 80.70408  |
| 151 | 17.97362 | 80.70181  |
| 152 | 17.96957 | 80.70181  |
| 153 | 17.96472 | 80.70024  |
| 154 | 17.96027 | 80.70208  |
| 155 | 17.95452 | 80.69985  |
| 156 | 17.95072 | 80.69998  |
| 157 | 17.94738 | 80.70196  |
| 158 | 17.94254 | 80.70196  |
| 159 | 17.93964 | 80.69933  |
| 160 | 17.93419 | 80.69923  |
| 161 | 17.92629 | 80.70445  |
| 162 | 17.91759 | 80.71426  |
| 163 | 17.90114 | 80.73428  |
| 164 | 17.90861 | 80.76090  |
| 165 | 17.91349 | 80.78358  |
| 166 | 17.91631 | 80.79322  |
| 167 | 17.91188 | 80.792999 |
| 168 | 17.91084 | 80.80175  |
| 169 | 17.91727 | 80.80439  |
| 170 | 17.91673 | 80.80942  |
| 171 | 17.91403 | 80.81645  |
| 172 | 17.91403 | 80.81645  |
| 173 | 17.90088 | 80.81742  |
| 174 | 17.89387 | 80.81799  |
| 175 | 17.88871 | 80.81719  |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 176 | 17.88452 | 80.81633 |
| 177 | 17.87992 | 80.81639 |
| 178 | 17.87539 | 80.81644 |
| 179 | 17.87108 | 80.81656 |
| 180 | 17.86649 | 80.81667 |
| 181 | 17.85765 | 80.81702 |
| 182 | 17.85719 | 80.81116 |
| 183 | 17.85690 | 80.80680 |
| 184 | 17.84800 | 80.80404 |
| 185 | 17.84175 | 80.80301 |
| 186 | 17.83750 | 80.79916 |
| 187 | 17.83061 | 80.79933 |
| 188 | 17.82217 | 80.79968 |
| 189 | 17.81942 | 80.80490 |
| 190 | 17.81517 | 80.80789 |
| 191 | 17.81172 | 80.81185 |
| 192 | 17.80661 | 80.81334 |
| 193 | 17.80357 | 80.81386 |
| 194 | 17.79944 | 80.81604 |
| 195 | 17.79129 | 80.81661 |
| 196 | 17.78267 | 80.81897 |
| 197 | 17.77630 | 80.82304 |
| 198 | 17.77142 | 80.82735 |
| 199 | 17.76706 | 80.83487 |
| 200 | 17.75698 | 80.84646 |
| 201 | 17.74856 | 80.84038 |
| 202 | 17.74834 | 80.84945 |
| 203 | 17.73956 | 80.84733 |
| 204 | 17.73951 | 80.82878 |
| 205 | 17.73334 | 80.82785 |
| 206 | 17.72697 | 80.82639 |
| 207 | 17.71683 | 80.82398 |
| 208 | 17.70601 | 80.82146 |
| 209 | 17.69302 | 80.81845 |
| 210 | 17.68264 | 80.81594 |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 211 | 17.66378 | 80.81150 |
| 212 | 17.65261 | 80.80904 |
| 213 | 17.64276 | 80.80662 |
| 214 | 17.63549 | 80.80489 |
| 215 | 17.63279 | 80.79532 |
| 216 | 17.62733 | 80.78202 |
| 217 | 17.62417 | 80.77303 |
| 218 | 17.62132 | 80.76047 |
| 219 | 17.62701 | 80.75478 |
| 220 | 17.63147 | 80.74654 |
| 221 | 17.63852 | 80.73987 |
| 222 | 17.63889 | 80.73642 |
| 223 | 17.63710 | 80.73012 |
| 224 | 17.63620 | 80.72520 |
| 225 | 17.63660 | 80.72068 |
| 226 | 17.64197 | 80.71551 |
| 227 | 17.64863 | 80.70781 |
| 228 | 17.65385 | 80.70622 |
| 229 | 17.65926 | 80.70105 |
| 230 | 17.66304 | 80.69727 |
| 231 | 17.65683 | 80.69215 |
| 232 | 17.65365 | 80.68957 |
| 233 | 17.65385 | 80.68564 |
| 234 | 17.65265 | 80.68212 |
| 235 | 17.64853 | 80.68018 |
| 236 | 17.64565 | 80.67715 |
| 237 | 17.64340 | 80.67421 |
| 238 | 17.64042 | 80.67588 |
| 239 | 17.63671 | 80.67724 |
| 240 | 17.63269 | 80.67647 |
| 241 | 17.62831 | 80.67434 |
| 242 | 17.62419 | 80.67448 |
| 243 | 17.61931 | 80.67728 |
| 244 | 17.61593 | 80.67606 |
| 245 | 17.61326 | 80.67570 |
| 246 | 17.61001 | 80.67565 |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 247 | 17.60358 | 80.67678 |
| 248 | 17.60228 | 80.67352 |
| 249 | 17.59909 | 80.66753 |
| 250 | 17.59647 | 80.66687 |
| 251 | 17.59400 | 80.66669 |
| 252 | 17.59160 | 80.66719 |
| 253 | 17.58545 | 80.66349 |
| 254 | 17.58348 | 80.66351 |
| 255 | 17.58382 | 80.66835 |
| 256 | 17.58096 | 80.67067 |
| 257 | 17.57261 | 80.66880 |
| 258 | 17.56367 | 80.66578 |
| 259 | 17.55720 | 80.65439 |
| 260 | 17.55899 | 80.63545 |
| 261 | 17.56732 | 80.62452 |
| 262 | 17.56785 | 80.62050 |
| 263 | 17.56862 | 80.61545 |
| 264 | 17.56804 | 80.60764 |
| 265 | 17.56800 | 80.60295 |
| 266 | 17.56589 | 80.59751 |
| 267 | 17.56782 | 80.59566 |
| 268 | 17.56920 | 80.59373 |
| 269 | 17.56996 | 80.58814 |
| 270 | 17.57116 | 80.58389 |
| 271 | 17.57135 | 80.58049 |
| 272 | 17.57742 | 80.57943 |
| 273 | 17.58247 | 80.58597 |
| 274 | 17.58630 | 80.58932 |
| 275 | 17.58901 | 80.58656 |
| 276 | 17.59394 | 80.58873 |
| 277 | 17.60332 | 80.58792 |
| 278 | 17.60863 | 80.58121 |
| 279 | 17.60504 | 80.57663 |
| 280 | 17.59778 | 80.57020 |
| 281 | 17.59173 | 80.56533 |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 282 | 17.59131 | 80.55883 |
| 283 | 17.59044 | 80.54986 |
| 284 | 17.59029 | 80.53982 |
| 285 | 17.59576 | 80.53587 |
| 286 | 17.60481 | 80.52959 |
| 287 | 17.61559 | 80.52169 |
| 288 | 17.62680 | 80.51315 |
| 289 | 17.63448 | 80.50908 |
| 290 | 17.63949 | 80.50840 |
| 291 | 17.65253 | 80.50135 |
| 292 | 17.66302 | 80.49999 |
| 293 | 17.67584 | 80.49842 |
| 294 | 17.69150 | 80.50139 |
| 295 | 17.69915 | 80.50220 |
| 296 | 17.70135 | 80.49677 |
| 297 | 17.69906 | 80.48929 |
| 298 | 17.70012 | 80.48178 |
| 299 | 17.69707 | 80.47248 |
| 300 | 17.70208 | 80.45622 |
| 301 | 17.69367 | 80.44994 |
| 302 | 17.69510 | 80.43540 |
| 303 | 17.70100 | 80.42535 |
| 304 | 17.69510 | 80.41641 |
| 305 | 17.69877 | 80.40173 |
| 306 | 17.68600 | 80.40365 |
| 307 | 17.67914 | 80.39360 |
| 308 | 17.68216 | 80.38724 |
| 309 | 17.68823 | 80.38099 |
| 310 | 17.69462 | 80.37269 |
| 311 | 17.70749 | 80.36600 |
| 312 | 17.71145 | 80.36273 |
| 313 | 17.71604 | 80.35656 |
| 314 | 17.72238 | 80.34477 |
| 315 | 17.72764 | 80.34717 |
| 316 | 17.73223 | 80.35303 |
| 317 | 17.73316 | 80.35772 |

|     |          |           |
|-----|----------|-----------|
| 318 | 17.73701 | 80.35982  |
| 319 | 17.74436 | 80.35620  |
| 320 | 17.75871 | 80.35655  |
| 321 | 17.76653 | 80.35818  |
| 322 | 17.77400 | 80.36308  |
| 323 | 17.78450 | 80.36250  |
| 324 | 17.78917 | 80.36343  |
| 325 | 17.79804 | 80.36215  |
| 326 | 17.80201 | 80.35935  |
| 327 | 17.81195 | 80.35718  |
| 328 | 17.82379 | 80.34731  |
| 329 | 17.82535 | 80.34476  |
| 330 | 17.83095 | 80.34021  |
| 331 | 17.84005 | 80.33321  |
| 332 | 17.85099 | 80.32419  |
| 333 | 17.85573 | 80.31540  |
| 334 | 17.86148 | 80.30697  |
| 335 | 17.86654 | 80.29692  |
| 336 | 17.86950 | 80.28382  |
| 337 | 17.87156 | 80.27393  |
| 338 | 17.87576 | 80.27405  |
| 339 | 17.88019 | 80.27823  |
| 340 | 17.88836 | 80.27825  |
| 341 | 17.89513 | 80.27837  |
| 342 | 17.90331 | 80.27837  |
| 343 | 17.90317 | 80.29162  |
| 344 | 17.90331 | 800.30431 |
| 345 | 17.91545 | 80.30440  |
| 346 | 17.91561 | 80.31158  |
| 347 | 17.91992 | 803.31589 |
| 348 | 17.92107 | 80.32475  |
| 349 | 17.92017 | 80.33053  |
| 350 | 17.92276 | 80.33081  |
| 351 | 17.92276 | 80.33702  |
| 352 | 17.93061 | 80.33934  |
| 353 | 17.93348 | 80.34068  |
| 354 | 17.93648 | 80.34375  |
| 355 | 17.93802 | 80.34471  |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 356 | 17.93924 | 80.34562 |
| 357 | 17.94145 | 80.34596 |
| 358 | 17.94388 | 80.34580 |
| 359 | 17.94604 | 80.34573 |

**उपाबंध-IV****पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । व्यौरों को पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । व्यौरों को पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28<sup>th</sup> July, 2016

**S.O. 2629(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate

Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

**Draft Notification**

WHEREAS, the Kinnerasani Wildlife Sanctuary is located at a distance of 12 kilometres North from Paloncha town of Khammam District, Telangana State and falls in Deccan peninsular bio-geographic zone;

AND WHEREAS, the Kinnerasani Wildlife Sanctuary has a hilly terrain with luxuriant forests harbouring rich biodiversity consisting of varied flora and fauna and the major forest type in the Sanctuary is mostly Southern Dry Mixed Deciduous forests;

AND WHEREAS, the plant species commonly found in the Sanctuary are: *Hardwickia binata*, *Pterocarpus marsupium*, *Adina cordifolia*, *Anogeissus latifolia*, *Terminalia tomentosa*, *Terminalia bellerica*, *Bauhinia racemosa*, *Acacia* species, *Diospyros melanoxylon*, *Aegle marmelos*, *Feronia elephantum*, *Azadirachta indica*, *Dendrocalamus strictus*, *Zizyphus* species and *Ficus* Species;

AND WHEREAS, Kinnersani Wildlife Sanctuary harbours many animal species like Bison, Tiger, Panther, Jungle Cat, Small Indian Civet, Palm Civet, Wild Dog, Sloth Bear, Wild Boar, Jackal, Hyena, Indian Gaint Squirrel, Sambar, Spotted Deer along with bird species ;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the boundary of the Kinnersani Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 1 kilometer to 21 kilometer from the boundary of the Kinnersani Wildlife Sanctuary in the State of Telangana as the Kinnersani Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.**-(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1449.44 square kilometers with an extent varying from 1 kilometer to 21 kilometer from the boundary of the Kinnersani Wildlife Sanctuary in the State of Telangana and there are 70 villages situated in the proposed Eco-sensitive Zone area.

- (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II**.
- (3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended with this notification as **Annexure III**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

- (2) The **Zonal Master** Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
- (3)The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4)The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments for integrating environmental and ecological considerations into it, including the following State Departments, namely:-

  - (i) Environment;
  - (ii) Forest;
  - (iii) Urban Development;
  - (iv) Tourism;
  - (v) Municipal;
  - (vi) Revenue;
  - (vii) Agriculture;
  - (viii) State Pollution Control Board;
  - (ix) Irrigation;
  - (x) Public Works Department.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification; and, the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6)The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7)The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8)The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

**3.Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area including forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs** -The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism** - (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Telangana.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest

and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority time to time, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected areas upto the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5)**Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8)**Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10)**Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal

Master Plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Protection of hill slopes.**— (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(13) **Industrial units.**— (a) no establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone, but this shall not apply to the existing legal wood based industries.

(b) no establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**— All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

**TABLE**

| S.No.                        | Activity   | Remarks  |
|------------------------------|--|--|
| (1)                          | (2)  | (3)  |
| <b>Prohibited Activities</b> |  |  |
| 1.                           | Commercial mining, stone quarrying, crushing units.  | <p>(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying shall be prohibited within the Eco-sensitive Zone except for domestic <i>bona fide</i> needs.</p> <p>(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4<sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21<sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union Of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.</p> <p>(c) The existing projects which are falling with in the zone area after completion of lease period shall not be renewed or extended for further period in Nizamabad district. Where as in Khammam district of Eco- sensitive Zone no mining activity is permitted.</p> |
| 2.                           | Setting up of saw mills.   | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.  |
| 3.                           | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.                              | No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.  |
| 4.                           | Commercial use of firewood.  | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.   |
| 5.                           | Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.                             | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.   |
| 6.                           | Use or production of any hazardous substances.   | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.   |
| 7.                           | Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.                 | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.   |
| 8.                           | Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.   |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             | balloons.   |  |
| 9.                          | New wood based industry.                                      | <p>Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:</p> <p>Provided that the existing wood-based industry may continue as per law.</p>   |
| <b>Regulated Activities</b> |   |  |
| 10.                         | Establishment of eco-friendly tourism hotels and resorts.     | <p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.</p> <p>However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.</p>   |
| 11                          | Construction activities.                                      | <p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.</p> <p>(c) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.</p> |
| 12.                         | Felling of trees.   | <p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p> <p>(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.</p>   |
| 13.                         | Commercial water resources including ground water harvesting. | <p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.</p> <p>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.</p> <p>(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.</p> <p>(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>   |
| 14.                         | Erection of electrical cables and telecommunication towers.   | <p>(a) Promote underground cabling.</p> <p>(b) The laying of High Tension lines of 33 kv. and above are restricted in the Eco-sensitive Zone.</p>  |
| 15.                         | Fencing of existing premises of                               | Regulated under applicable laws.   |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
|                            | hotels and lodges.  |   |
| 16.                        | Widening and strengthening of existing roads.   | Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.   |
| 17.                        | Movement of vehicular traffic at night.   | Regulated for commercial purpose, under applicable laws.  |
| 18.                        | Introduction of exotic species.   | Regulated under applicable laws.  |
| 19.                        | Protection of hill slopes and river banks.  | Regulated under applicable laws.  |
| 20.                        | Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.  | Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.   |
| 21.                        | Commercial Sign boards and hoardings.   | Regulated under applicable laws.  |
| 22.                        | Small scale industries not causing pollution.   | Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted. |
| 23.                        | Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce .   | Regulated under applicable laws.  |
| 24.                        | Air and vehicular pollution.  | Regulated under applicable laws.  |
| 25.                        | Use of polythene bags.  | Regulated under applicable laws.  |
| 26.                        | Drastic change of agriculture systems.  | Regulated under applicable laws.  |
| 27.                        | Solid Waste Management.   | Regulated under applicable laws.  |
| 28.                        | Eco-Tourism.  | Regulated under applicable laws.  |
| <b>Promoted Activities</b> |   |   |
| 29.                        | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Promoted under applicable laws.   |
| 30.                        | Rain water harvesting.  | Shall be actively promoted.   |
| 31.                        | Organic farming.  | Shall be actively promoted.   |
| 32.                        | Adoption of green technology for all activities.  | Shall be actively promoted.   |
| 33.                        | Cottage industries including village artisans and other cottage industries.   | Shall be actively promoted.   |
| 34.                        | Use of renewable energy sources.  | Bio gas, solar light etc., to be promoted.  |
| 35.                        | Agro Forestry.  | Shall be actively promoted.   |
| 36.                        | Environmental Awareness.  | Shall be actively promoted.   |

**5. Monitoring Committee.**—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- (a) District Collector, Khammam —Chairman
- (b) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana —Member

- (c) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana —Member
- (d) Member of the State Biodiversity Board —Member
- (e) Regional Officer, State Pollution Control Board —Member
- (f) Senior Town Planner of the area/Chief Urban Planner/City Planner —Member
- (g) Wildlife Warden, Paloncha, Khammam District —Member-Secretary.

**6. Terms of Reference.-** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/16/2014-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

**Annexure I****Boundary Description of the Eco-Sensitive Zone of Kinnerasani Wildlife Sanctuary****Boundary Description of the Proposed Eco-Sensitive Zone of Kinnersani Wildlife Sanctuary, Wildlife Management Division, Paloncha, Khammam District**

**Western side A to B (Station No.1 to 30):** The boundary of the proposed Eco-Sensitive Zone starts at 'A' as shown in the map i.e., coordinate 17.94742 Lat- 80.34579 Long (station No. 1) at enclosure of Sayanapalli Village boundary of Damartogu R.F. of Kothagudem Forest Division. The station No. 1 is located at a distance of 1.00 KMs from south-western corner of Sayanapalli enclosure on road point, which connects Gundala and Sayanapalli Villages. The line starts from station No. 1 runs towards eastern, north-easterly, northerly up to station No.7 and then runs westernly, northenly, north-westernly to station No. 12, reaches Venkatapuram enclosure of Damertogu R.F and then runs easterly, northenly up to station No. 21 and runs north eastern direction through Demaratogu R.F. and reaches 'B' (station No. 30).

**Northern side B to C (Station No. 30 to 59):** From station No. B the boundary line runs south easterly up to station No. 34 through Damartogu R.F. of Kothagudem Forest Division. From station No. 34 the boundary line runs along the Khamman District boundary Kothagudem village enclosure of Janampeta R.F. Paloncha Division in zig zag manner towards northern direction and reaches 'C' (station No. 59).

**North side/Eastern side C to D (Station No. 59 to 124):** From station No. 'C', the boundary line runs towards south-easterly, easterly, northenly, easterly northenly, southerly through Janampeta R.F. of Paloncha Division over a length of 2.93 Kms and reaches station No. 102 and then runs in zig zag manner towards southern directions and reaches 'D' (station no. 124)near Rallavagu.

**Eastern side D to E (Station No. 124 to 171):** The boundary line runs from station No. 124 (D) towards southern direction, easterly upto 145 and then the boundary line passes through Kondapur Forest Block and towards Southern direction upto 160 and then the line runs South Eastern Direction and Eastern Direction through Kondaigudem and Kondapur Forest Block and reaches 'E' (station No. 171).

**Eastern side E to F (Station No. 171 to 214):** The boundary line passes from 'E' (station No. 171) runs towards southern direction up to station No. 173 through Kondapur Block and then the line runs along Aswapuram Block towards southern direction up to station No. 181 and the line runs Western direction to station No. 183 and then the line runs through Aswapuram Extension-I Block up to station No. 185 and then the boundary line runs towards southern direction along Aswapuram Forest Block and south eastern direction and western direction through Nellipaka A & B Forest Blocks up to station No. 205 and then the line runs middle of the Kistasagar Forest Block towards southern direction up to station No. 210 and then the line runs up to 'F' (station No. 214) through non-forest area over a length of 5.7 KMs. 'F' is located at Morampalli Banzar village near 'X' road.

**Southern side F to G (Station No. 214 to 284):** From 'F' point the boundary line runs through non-forest area towards western direction to a length of 3.62 KMs up to station No. 217, which is located on Kinnerasani River. Then the boundary line runs along Kinnerasani River up to station No. 229 towards Western, North-Western direction and then runs along Suraram R.F. upto Station.232 and then the line runs towards southern direction upto station No. 237 excluding Punukula Village and Revenue lands and existing KTPS complex with ash ponds and joins to station no. 253 of Chathakonda RF of Kothagudem Division. From station No. 253 the boundary line runs through Chathakonda Forest Block of Kothagudem Division towards slight eastern, southern up to station No. 259, and again western direction up to station No. 271. Then boundary line towards north direction up to station No. 278 and runs along Chatakonda RF towards western and southern direction along the Chatakonda R.F. boundary up to 'G' point (station No. 284) shown in the map.


**Western side G to A (station No. 284 to 359):** From 'G' point (station No. 284) the boundary line runs towards northern directions up to station No. 289 along Chatakonda R.F. and then runs through non-forest area (**Enclosure of Chathakonda RF**) up to station No. 293 and then runs through Chatakonda block towards Northern and Western direction up to station No. 305 and then the boundary line runs southern direction upto Station No. 307, than boundary line passes through Kunavaram Block towards Norwestern direction upto Station No. 314. Thereafter the boundary line runs towards Northern direction upto Station No. 327 and then runs towards Southern direction upto Station No. 337 through Komaram and Gundala Block of Kothagudem Forest Division. From Station No. 337 the boundary line passes through Gundala Forest Block upto Station No. 342 towards Northern direction and then reaches Station No. 345 towards Eastern and Northern direction.

From here the boundary line reaches Station No. **351** along Gundala Forest Block towards Eastern direction. Then the boundary line joins Station No. **1 (A)** towards Northern direction.

**Annexure-II****List of villages within the Eco-sensitive Zone**

| <b>Sl. No.</b> | <b>Name of the village</b> | <b>Mandal</b> | <b>Latitude</b> | <b>Longitude</b> |
|----------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1              | 2                          | 3             | 4               | 5                |
| V1             | Karakagudem                | Pinapaka      | 18.03754        | 80.57035         |
| V2             | Krishnasagar               | Ashwapuram    | 17.71153        | 80.57035         |
| V3             | Thummalachervu             | Ashwapuram    | 17.77880        | 80.80561         |
| V4             | Kurvapally                 | Ashwapuram    | 17.76544        | 80.80491         |
| V5             | Kothuru                    | Ashwapuram    | 17.76834        | 80.80924         |
| V6             | Mondikunta                 | Ashwapuram    | 17.76961        | 80.83280         |
| V7             | Ulvanoor Kothouru          | Ashwapuram    | 17.81244        | 80.70711         |
| V8             | Bugga                      | Manuguru      | 17.91930        | 80.72152         |
| V9             | Khammamtoagu               | Manuguru      | 17.93108        | 80.70349         |
| V10            | Pinapaka                   | Pinapaka      | 18.02700        | 80.68162         |
| V11            | Gopalarao peta             | Pinapaka      | 18.01614        | 80.67586         |
| V12            | Bandarugudem               | Pinapaka      | 18.01734        | 80.66191         |
| V13            | Toggudem                   | Pinapaka      | 18.01592        | 80.64183         |
| V14            | Govindapuram               | Pinapaka      | 18.64861        | 80.64861         |
| V15            | Kalvalanagaram             | Pinapaka      | 18.01318        | 80.62298         |
| V16            | Emuluru                    | Ashwapuram    | 17.86114        | 80.75932         |
| V17            | Pandurangapuram            | Paloncha      | 17.64480        | 80.72022         |
| V18            | Thapsilgudem               | Paloncha      | 17.65077        | 80.71057         |
| V19            | Narasampet                 | Paloncha      | 17.68300        | 80.73059         |
| V20            | Gajulagudem                | Paloncha      | 17.61553        | 80.66856         |
| V21            | Karakavagu                 | Paloncha      | 17.61856        | 80.68040         |
| V22            | New Paloncha               | Paloncha      | 17.60328        | 80.68860         |
| V23            | Seetharampatnam            | Paloncha      | 17.60424        | 80.68412         |
| V24            | Kommugudem                 | Paloncha      | 17.59653        | 80.69142         |
| V25            | Pichaiah Thanda            | Paloncha      | 17.60032        | 80.66154         |
| V26            | Navabharath                | Paloncha      | 17.58332        | 80.65452         |
| V27            | Pathapaloncha              | Paloncha      | 17.58710        | 80.68598         |
| V28            | Bangarijalu                | Paloncha      | 17.56218        | 80.68151         |
| V29            | Seetharamsethanjar         | Paloncha      | 17.56969        | 80.67235         |
| V30            | Kunavaram                  | Kothagudem    | 17.59160        | 80.58924         |
| V31            | Kothagudem                 | Kothagudem    | 17.56479        | 80.62539         |

|     |                  |             |          |          |
|-----|------------------|-------------|----------|----------|
| V32 | Anisettipally    | Kothagudem  | 17.57800 | 80.58297 |
| V33 | Shambunegudem    | Tekulapally | 17.58709 | 80.58409 |
| V34 | Vdduguddem       | Tekulapally | 17.58798 | 80.57304 |
| V35 | Venkatapauram    | Gundala     | 17.67345 | 80.52767 |
| V35 | Sainapalli       | Gundala     | 17.96029 | 80.34422 |
| V36 | Padmapuram       | Pinapaka    | 18.04101 | 80.51665 |
| V37 | Padmapuram       | Pinapaka    | 18.04101 | 80.51665 |
| V38 | Mothey           | Pinapaka    | 18.04506 | 80.54853 |
| V39 | Nadimagudem      | Gundala     | 18.15516 | 80.60996 |
| V40 | Chiramalla       | Pinapaka    | 18.05314 | 80.57806 |
| V41 | Venkatapauram    | Pinapaka    | 18.05061 | 80.53270 |
| V42 | Niladripeta      | Gundala     | 17.99895 | 80.51229 |
| V43 | Sandibandam      | Gundala     | 17.92834 | 80.48472 |
| V44 | Ravilanka        | Gundala     | 17.87481 | 80.47286 |
| V45 | Tunikibandala    | Gundala     | 17.86197 | 80.46826 |
| V46 | Ippenapalli      | Gundala     | 17.85184 | 80.46174 |
| V47 | Valasala         | Gundala     | 17.86348 | 80.44014 |
| V48 | Jekaram          | Gundala     | 17.93448 | 80.49076 |
| V49 | Ravugyden        | Gundala     | 17.82425 | 80.45457 |
| V50 | Motlagudem       | Gundala     | 17.75693 | 80.51562 |
| V51 | Kommugudem       | Gundala     | 17.72835 | 80.47680 |
| V52 | Kothuru          | Gundala     | 17.68008 | 80.46791 |
| V53 | Kunaram          | Tekulapally | 17.56814 | 80.57028 |
| V54 | Hemachandrapuram | Kothagudem  | 17.56101 | 80.58980 |
| V55 | Bhattumally      | Pinapaka    | 18.01467 | 80.68659 |
| V56 | Suryathanda      | Paloncha    | 17.64251 | 80.67649 |
| V57 | Dudiyathanda     | Paloncha    | 17.64177 | 80.66818 |
| V58 | Yadapalligudem   | Gundala     | 17.72347 | 80.40090 |
| V59 | Ramakrishnapuram | Gundala     | 17.71676 | 80.40436 |
| V60 | Rallagumpu       | Gundala     | 17.75298 | 80.39006 |
| V61 | Anantharam       | Gundala     | 17.75291 | 80.38099 |
| V62 | Ramavaram        | Gundala     | 17.75702 | 80.38782 |
| V63 | Yallapuram       | Gundala     | 17.76201 | 80.38616 |
| V64 | Kachinapalli     | Gundala     | 17.75531 | 80.43233 |
| V65 | Gundala          | Gundala     | 17.86298 | 80.32558 |
| V66 | Galba            | Gundala     | 17.86051 | 80.33018 |
| V67 | Kunavarigudem    | Gundala     | 17.91747 | 80.33086 |
| V68 | Kodavalancha     | Gundala     | 17.92707 | 80.35584 |
| V69 | Pothireddigudem  | Gundala     | 17.89707 | 80.33691 |
| V70 | Jaggaithanda     | Gundala     | 17.89862 | 80.31833 |

**Annexure III****Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes**

**Lat-longs of Eco-sensitive Zone Boundary of Kinnersani Wildlife Sanctuary (WGS84)**

| <b>STN NO.</b> | <b>LAT</b> | <b>LONG</b> |
|----------------|------------|-------------|
| 1              | 17.94742   | 80.34579    |
| 2              | 17.94702   | 80.34783    |
| 3              | 17.94725   | 80.35292    |
| 4              | 17.95301   | 80.35905    |
| 5              | 17.95948   | 80.35939    |
| 6              | 17.96587   | 80.35989    |
| 7              | 17.96926   | 80.36002    |
| 8              | 17.97104   | 80.34844    |
| 9              | 17.97554   | 80.34831    |
| 10             | 17.97857   | 80.33996    |
| 11             | 17.98217   | 80.33948    |
| 12             | 17.98674   | 80.33760    |
| 13             | 17.98692   | 80.33887    |
| 14             | 17.98788   | 80.34281    |
| 15             | 17.98949   | 80.34262    |
| 16             | 18.00000   | 80.34277    |
| 17             | 18.00011   | 80.33960    |
| 18             | 18.00541   | 80.34005    |
| 19             | 18.00545   | 80.33465    |
| 20             | 18.00862   | 80.33567    |
| 21             | 18.01014   | 80.33467    |
| 22             | 18.01426   | 80.34130    |
| 23             | 18.02389   | 80.34342    |
| 24             | 18.03255   | 80.34575    |
| 25             | 18.03635   | 80.34651    |
| 26             | 18.04009   | 80.35004    |
| 27             | 18.04912   | 80.35851    |
| 28             | 18.06139   | 80.37156    |
| 29             | 18.07157   | 80.38183    |
| 30             | 18.08151   | 80.39195    |
| 31             | 18.07451   | 80.40465    |
| 32             | 18.06715   | 80.41822    |
| 33             | 18.06233   | 80.42725    |
| 34             | 18.06032   | 80.43089    |
| 35             | 18.06129   | 80.43264    |

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| 36 | 18.06003 | 80.43647 |
| 37 | 18.06205 | 80.43660 |
| 38 | 18.06494 | 80.44408 |
| 39 | 18.06678 | 80.44506 |
| 40 | 18.06433 | 80.45074 |
| 41 | 18.06007 | 80.45549 |
| 42 | 18.06142 | 80.45951 |
| 43 | 18.06258 | 80.45916 |
| 44 | 18.06268 | 80.46198 |
| 45 | 18.06784 | 80.45922 |
| 46 | 18.07069 | 80.45700 |
| 47 | 18.07306 | 80.45739 |
| 48 | 18.07972 | 80.46587 |
| 49 | 18.08415 | 80.46240 |
| 50 | 18.08596 | 80.46424 |
| 51 | 18.09324 | 70.46581 |
| 52 | 18.09326 | 80.46915 |
| 53 | 18.10325 | 80.48281 |
| 54 | 18.10714 | 80.48566 |
| 55 | 18.11464 | 80.48689 |
| 56 | 18.12167 | 80.48866 |
| 57 | 18.12748 | 80.49339 |
| 58 | 18.13670 | 80.49449 |
| 59 | 18.13845 | 80.49879 |
| 60 | 18.13382 | 80.50217 |
| 61 | 18.12999 | 80.50252 |
| 62 | 18.12555 | 80.50917 |
| 63 | 18.12231 | 80.51263 |
| 64 | 18.11713 | 80.51404 |
| 65 | 18.10979 | 80.52117 |
| 66 | 18.10614 | 80.52776 |
| 67 | 18.10033 | 80.53622 |
| 68 | 18.09744 | 80.53856 |
| 69 | 18.09795 | 80.54627 |
| 70 | 18.10522 | 80.55096 |
| 71 | 18.10461 | 80.55671 |
| 72 | 18.10371 | 80.56211 |

|     |           |          |
|-----|-----------|----------|
| 73  | 18.10106  | 80.56527 |
| 74  | 18.09921  | 80.57030 |
| 75  | 18.09634  | 80.57809 |
| 76  | 18.09148  | 80.58845 |
| 77  | 18.08362  | 80.59951 |
| 78  | 18.08341  | 80.60355 |
| 79  | 18.08635  | 80.60496 |
| 80  | 19.08839  | 80.60789 |
| 81  | 18.09356  | 80.60889 |
| 82  | 18.10253  | 80.61374 |
| 83  | 18.10469  | 80.61562 |
| 84  | 18.10751  | 80.61568 |
| 85  | 18.11478  | 80.61444 |
| 86  | 18.11835  | 80.61649 |
| 87  | 18.11511  | 80.61784 |
| 88  | 18.11277  | 80.61959 |
| 89  | 18.11211  | 80.62306 |
| 90  | 18.11252  | 80.62377 |
| 91  | 18.10950  | 80.63513 |
| 92  | 18.10420  | 80.63584 |
| 93  | 180.09207 | 80.63223 |
| 94  | 18.08883  | 80.63498 |
| 95  | 18.08859  | 80.63878 |
| 96  | 18.09038  | 80.63933 |
| 97  | 18.088606 | 80.64860 |
| 98  | 18.08300  | 80.66250 |
| 99  | 18.08133  | 80.67098 |
| 100 | 18.07756  | 80.67005 |
| 101 | 18.07721  | 80.67773 |
| 102 | 18.07664  | 80.68428 |
| 103 | 18.07460  | 80.68417 |
| 104 | 18.07442  | 80.67940 |
| 105 | 18.07308  | 80.67626 |
| 106 | 18.07189  | 80.66817 |
| 107 | 18.06623  | 80.66852 |
| 108 | 18.06360  | 80.66424 |
| 109 | 18.06186  | 80.66886 |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 110 | 18.06164 | 80.68165 |
| 111 | 18.06017 | 80.68138 |
| 112 | 18.05911 | 80.67423 |
| 113 | 18.05349 | 80.66970 |
| 114 | 18.05045 | 80.67296 |
| 115 | 18.04986 | 80.68077 |
| 116 | 18.04623 | 80.68085 |
| 117 | 18.04521 | 80.67365 |
| 118 | 18.04093 | 80.66915 |
| 119 | 18.03082 | 80.66475 |
| 120 | 18.03114 | 80.65635 |
| 121 | 18.03173 | 80.64962 |
| 122 | 18.02961 | 80.64363 |
| 123 | 18.02758 | 80.64283 |
| 124 | 18.02717 | 80.63816 |
| 125 | 18.01952 | 80.63916 |
| 126 | 18.01473 | 80.64194 |
| 127 | 18.01775 | 80.64550 |
| 128 | 18.01793 | 80.64868 |
| 129 | 18.01869 | 80.64891 |
| 130 | 18.01871 | 80.65209 |
| 131 | 18.01781 | 80.65494 |
| 132 | 18.01445 | 80.65629 |
| 133 | 18.01245 | 80.65376 |
| 135 | 18.01102 | 80.65417 |
| 136 | 18.00287 | 80.65337 |
| 137 | 18.00227 | 80.66837 |
| 138 | 18.00559 | 80.66938 |
| 139 | 18.00666 | 80.67456 |
| 140 | 18.00760 | 80.67944 |
| 141 | 18.00297 | 80.67918 |
| 142 | 18.00204 | 80.68034 |
| 143 | 18.0040  | 80.68723 |
| 144 | 17.99958 | 8069320  |
| 145 | 17.99947 | 80.70384 |
| 146 | 17.99548 | 80.70548 |
| 147 | 17.99145 | 8070548  |

|     |          |           |
|-----|----------|-----------|
| 148 | 17.98684 | 80.70325  |
| 149 | 17.98292 | 80.70469  |
| 150 | 17.97791 | 80.70408  |
| 151 | 17.97362 | 80.70181  |
| 152 | 17.96957 | 80.70181  |
| 153 | 17.96472 | 80.70024  |
| 154 | 17.96027 | 80.70208  |
| 155 | 17.95452 | 80.69985  |
| 156 | 17.95072 | 80.69998  |
| 157 | 17.94738 | 80.70196  |
| 158 | 17.94254 | 80.70196  |
| 159 | 17.93964 | 80.69933  |
| 160 | 17.93419 | 80.69923  |
| 161 | 17.92629 | 80.70445  |
| 162 | 17.91759 | 80.71426  |
| 163 | 17.90114 | 80.73428  |
| 164 | 17.90861 | 80.76090  |
| 165 | 17.91349 | 80.78358  |
| 166 | 17.91631 | 80.79322  |
| 167 | 17.91188 | 80.792999 |
| 168 | 17.91084 | 80.80175  |
| 169 | 17.91727 | 80.80439  |
| 170 | 17.91673 | 80.80942  |
| 171 | 17.91403 | 80.81645  |
| 172 | 17.91403 | 80.81645  |
| 173 | 17.90088 | 80.81742  |
| 174 | 17.89387 | 80.81799  |
| 175 | 17.88871 | 80.81719  |
| 176 | 17.88452 | 80.81633  |
| 177 | 17.87992 | 80.81639  |
| 178 | 17.87539 | 80.81644  |
| 179 | 17.87108 | 80.81656  |
| 180 | 17.86649 | 80.81667  |
| 181 | 17.85765 | 80.81702  |
| 182 | 17.85719 | 80.81116  |
| 183 | 17.85690 | 80.80680  |
| 184 | 17.84800 | 80.80404  |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 185 | 17.84175 | 80.80301 |
| 186 | 17.83750 | 80.79916 |
| 187 | 17.83061 | 80.79933 |
| 188 | 17.82217 | 80.79968 |
| 189 | 17.81942 | 80.80490 |
| 190 | 17.81517 | 80.80789 |
| 191 | 17.81172 | 80.81185 |
| 192 | 17.80661 | 80.81334 |
| 193 | 17.80357 | 80.81386 |
| 194 | 17.79944 | 80.81604 |
| 195 | 17.79129 | 80.81661 |
| 196 | 17.78267 | 80.81897 |
| 197 | 17.77630 | 80.82304 |
| 198 | 17.77142 | 80.82735 |
| 199 | 17.76706 | 80.83487 |
| 200 | 17.75698 | 80.84646 |
| 201 | 17.74856 | 80.84038 |
| 202 | 17.74834 | 80.84945 |
| 203 | 17.73956 | 80.84733 |
| 204 | 17.73951 | 80.82878 |
| 205 | 17.73334 | 80.82785 |
| 206 | 17.72697 | 80.82639 |
| 207 | 17.71683 | 80.82398 |
| 208 | 17.70601 | 80.82146 |
| 209 | 17.69302 | 80.81845 |
| 210 | 17.68264 | 80.81594 |
| 211 | 17.66378 | 80.81150 |
| 212 | 17.65261 | 80.80904 |
| 213 | 17.64276 | 80.80662 |
| 214 | 17.63549 | 80.80489 |
| 215 | 17.63279 | 80.79532 |
| 216 | 17.62733 | 80.78202 |
| 217 | 17.62417 | 80.77303 |
| 218 | 17.62132 | 80.76047 |
| 219 | 17.62701 | 80.75478 |
| 220 | 17.63147 | 80.74654 |
| 221 | 17.63852 | 80.73987 |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 222 | 17.63889 | 80.73642 |
| 223 | 17.63710 | 80.73012 |
| 224 | 17.63620 | 80.72520 |
| 225 | 17.63660 | 80.72068 |
| 226 | 17.64197 | 80.71551 |
| 227 | 17.64863 | 80.70781 |
| 228 | 17.65385 | 80.70622 |
| 229 | 17.65926 | 80.70105 |
| 230 | 17.66304 | 80.69727 |
| 231 | 17.65683 | 80.69215 |
| 232 | 17.65365 | 80.68957 |
| 233 | 17.65385 | 80.68564 |
| 234 | 17.65265 | 80.68212 |
| 235 | 17.64853 | 80.68018 |
| 236 | 17.64565 | 80.67715 |
| 237 | 17.64340 | 80.67421 |
| 238 | 17.64042 | 80.67588 |
| 239 | 17.63671 | 80.67724 |
| 240 | 17.63269 | 80.67647 |
| 241 | 17.62831 | 80.67434 |
| 242 | 17.62419 | 80.67448 |
| 243 | 17.61931 | 80.67728 |
| 244 | 17.61593 | 80.67606 |
| 245 | 17.61326 | 80.67570 |
| 246 | 17.61001 | 80.67565 |
| 247 | 17.60358 | 80.67678 |
| 248 | 17.60228 | 80.67352 |
| 249 | 17.59909 | 80.66753 |
| 250 | 17.59647 | 80.66687 |
| 251 | 17.59400 | 80.66669 |
| 252 | 17.59160 | 80.66719 |
| 253 | 17.58545 | 80.66349 |
| 254 | 17.58348 | 80.66351 |
| 255 | 17.58382 | 80.66835 |
| 256 | 17.58096 | 80.67067 |
| 257 | 17.57261 | 80.66880 |
| 258 | 17.56367 | 80.66578 |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 259 | 17.55720 | 80.65439 |
| 260 | 17.55899 | 80.63545 |
| 261 | 17.56732 | 80.62452 |
| 262 | 17.56785 | 80.62050 |
| 263 | 17.56862 | 80.61545 |
| 264 | 17.56804 | 80.60764 |
| 265 | 17.56800 | 80.60295 |
| 266 | 17.56589 | 80.59751 |
| 267 | 17.56782 | 80.59566 |
| 268 | 17.56920 | 80.59373 |
| 269 | 17.56996 | 80.58814 |
| 270 | 17.57116 | 80.58389 |
| 271 | 17.57135 | 80.58049 |
| 272 | 17.57742 | 80.57943 |
| 273 | 17.58247 | 80.58597 |
| 274 | 17.58630 | 80.58932 |
| 275 | 17.58901 | 80.58656 |
| 276 | 17.59394 | 80.58873 |
| 277 | 17.60332 | 80.58792 |
| 278 | 17.60863 | 80.58121 |
| 279 | 17.60504 | 80.57663 |
| 280 | 17.59778 | 80.57020 |
| 281 | 17.59173 | 80.56533 |
| 282 | 17.59131 | 80.55883 |
| 283 | 17.59044 | 80.54986 |
| 284 | 17.59029 | 80.53982 |
| 285 | 17.59576 | 80.53587 |
| 286 | 17.60481 | 80.52959 |
| 287 | 17.61559 | 80.52169 |
| 288 | 17.62680 | 80.51315 |
| 289 | 17.63448 | 80.50908 |
| 290 | 17.63949 | 80.50840 |
| 291 | 17.65253 | 80.50135 |
| 292 | 17.66302 | 80.49999 |
| 293 | 17.67584 | 80.49842 |
| 294 | 17.69150 | 80.50139 |
| 295 | 17.69915 | 80.50220 |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 296 | 17.70135 | 80.49677 |
| 297 | 17.69906 | 80.48929 |
| 298 | 17.70012 | 80.48178 |
| 299 | 17.69707 | 80.47248 |
| 300 | 17.70208 | 80.45622 |
| 301 | 17.69367 | 80.44994 |
| 302 | 17.69510 | 80.43540 |
| 303 | 17.70100 | 80.42535 |
| 304 | 17.69510 | 80.41641 |
| 305 | 17.69877 | 80.40173 |
| 306 | 17.68600 | 80.40365 |
| 307 | 17.67914 | 80.39360 |
| 308 | 17.68216 | 80.38724 |
| 309 | 17.68823 | 80.38099 |
| 310 | 17.69462 | 80.37269 |
| 311 | 17.70749 | 80.36600 |
| 312 | 17.71145 | 80.36273 |
| 313 | 17.71604 | 80.35656 |
| 314 | 17.72238 | 80.34477 |
| 315 | 17.72764 | 80.34717 |
| 316 | 17.73223 | 80.35303 |
| 317 | 17.73316 | 80.35772 |
| 318 | 17.73701 | 80.35982 |
| 319 | 17.74436 | 80.35620 |
| 320 | 17.75871 | 80.35655 |
| 321 | 17.76653 | 80.35818 |
| 322 | 17.77400 | 80.36308 |
| 323 | 17.78450 | 80.36250 |
| 324 | 17.78917 | 80.36343 |
| 325 | 17.79804 | 80.36215 |
| 326 | 17.80201 | 80.35935 |
| 327 | 17.81195 | 80.35718 |
| 328 | 17.82379 | 80.34731 |
| 329 | 17.82535 | 80.34476 |
| 330 | 17.83095 | 80.34021 |
| 331 | 17.84005 | 80.33321 |
| 332 | 17.85099 | 80.32419 |

|     |          |           |
|-----|----------|-----------|
| 333 | 17.85573 | 80.31540  |
| 334 | 17.86148 | 80.30697  |
| 335 | 17.86654 | 80.29692  |
| 336 | 17.86950 | 80.28382  |
| 337 | 17.87156 | 80.27393  |
| 338 | 17.87576 | 80.27405  |
| 339 | 17.88019 | 80.27823  |
| 340 | 17.88836 | 80.27825  |
| 341 | 17.89513 | 80.27837  |
| 342 | 17.90331 | 80.27837  |
| 343 | 17.90317 | 80.29162  |
| 344 | 17.90331 | 800.30431 |
| 345 | 17.91545 | 80.30440  |
| 346 | 17.91561 | 80.31158  |
| 347 | 17.91992 | 803.31589 |
| 348 | 17.92107 | 80.32475  |
| 349 | 17.92017 | 80.33053  |
| 350 | 17.92276 | 80.33081  |
| 351 | 17.92276 | 80.33702  |
| 352 | 17.93061 | 80.33934  |
| 353 | 17.93348 | 80.34068  |
| 354 | 17.93648 | 80.34375  |
| 355 | 17.93802 | 80.34471  |
| 356 | 17.93924 | 80.34562  |
| 357 | 17.94145 | 80.34596  |
| 358 | 17.94388 | 80.34580  |
| 359 | 17.94604 | 80.34573  |

**Annexure IV****Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.